फर्द अहकाम

विरधाराम बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रकरण संख्या ....02/2025 प्रा. पत्र पत्थरगढ़ी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.05.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी Advocate उपस्थित। पत्थरगढ़ी [illegible] में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावें। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 05/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	तहसीलदार [illegible] को कोई आपत्ति नहीं चाहिए
05.06.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी Advocate उपस्थित पर विचार निवेदन किया कि तहसीलदार [illegible] से कोई आपत्ति नहीं चाहिए। निवेदन स्वीकार किया। गुणावगुण पर पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय लिखा जाकर जारी है। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा

जिला – कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

2025/68

प्रार्थना–पत्र संख्या 02/2025

1. गिरधारी पुत्र भँवरा जाति जाट निवासी पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

..................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान

..................अप्रार्थी

2. अनू पुत्री भगवान सहाय
3. आशीष पुत्र फूलचन्द
4. कमला देवी पत्नि स्व. फूलचन्द
5. जयसिंह पुत्र फूलचन्द
6. पूजा पुत्री फूलचन्द
7. पूजा देवी पुत्री भगवान सहाय
8. भीमसिंह जाट पुत्र भगवान सहाय
9. रेशमी देवी पुत्री भगवान सहाय
10. रामा देवी पत्नि भगवान सहाय
11. ललिता चौधरी पुत्री भगवान सहाय
12. सुमन देवी पुत्री भगवान सहाय
13. पतासी देवी पत्नि स्व. जयराम
14. राकेश पुत्र स्व. जंयराम
15. ममता

गिरधारी लाल

16. संगीता

17. मनिषा

18. मीना पुत्रीयान स्व. जयराम

समस्त जाति जाट निवासीयान पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

..................तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने

श्रीमानजी,

सेवामें प्रार्थना–पत्र निम्न भांति प्रस्तुत है :–

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 है0 कुल किता 01 वाके मौजा पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में स्थित है।

2. यह है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 है0 कुल किता 01 वाके मौजा पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

3. यह है प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 है0 कुल किता 01 वाके मौजा पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार

गिरधारी लाल

काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारू है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा समझाने पर नही मान रहे है, मरनें–मारनें पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 है0 कुल किता 01 वाके मौजा पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

4. यह है कि तरतीबी अप्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष समय के अभाव में प्रार्थना पत्र के समय उपस्थित होने में असमर्थ है, इसलिए रफाए एतराज तरतीबी अप्रार्थीगण बनाया गया है।

5. यह है कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण नें पूर्व में अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 26.11.2021 को करवाया जा चुका है।

6. यह है कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण नें अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा नें सक्षम न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है।

गिरधारीलाल

8. यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियम न्यायशुल्क पर प्रार्थना–पत्र पेश है।

9. यह है कि रिहासश फरीकेन एवं आराजी विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना–पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 है0 कुल किता 01 वाके मौजा पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक :–

स्थान :– पावटा

गिरधारी लाल

प्रार्थी

गिरधारी पुत्र भँवरा जाति जाट निवासी पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला जयपुर

Regdm 2

प्रकरण संख्या 2/2025

उनवान :- गिरधारी बनाम तहसीलदार तहसील पावटा

(प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने)

श्रीमानजी,

सेवामें जवाब निम्नभांति प्रस्तुत है :-

1. यह है जिम्मन नं. 1 राजस्व रिकार्ड के तथ्य है स्वीकार है।
2. क जिम्मन नं. 2 राजस्व रिकार्ड के तथ्य है स्वीकार है।
3. यह है कि जिम्मन नं. 3 प्रार्थी स्वंय साबित करें।
4. यह है कि जिम्मन नं. 4 कानूनी है
5. यह है कि जिम्मन नं. 5 स्वीकार है।
6. यह है कि जिम्मन नं. 6 कानूनी है।
7. यह है कि जिम्मन नं. 7 कानूनी है।
8. यह है कि जिम्मन नं. 8 कानूनी है।
9. यह है कि जिम्मन नं. 9 कानूनी है।

तहसीलदार पावटा

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील-पावटा
जिला : कोटपूतली-बहरोड़

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)</u>

पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2025	2025/68	24.01.2025	05.06.2025

उनवान

गिरधारी पुत्र भँवरा जाति जाट निवासी पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड। **प्रार्थी**

बनाम

1. तहसीलदार पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ **अप्रार्थी**
2. अनू पुत्री भगवानसहाय
3. आशीष पुत्र फूलचन्द
4. कमला देवी पत्नि स्व. फूलचन्द
5. जयसिंह पुत्र फूलचन्द
6. पूजा पुत्री फूलचन्द
7. पूजा देवी पुत्री भगवानसहाय
8. भीमसिंह जाट पुत्र भगवानसहाय
9. रेशमी देवी पुत्री भगवानसहाय
10. रामा देवी पत्नि भगवानसहाय
11. ललिता चौधरी पुत्री भगवानसहाय
12. सुमन देवी पुत्री भगवानसहाय
13. पतासी देवी पत्नि स्व. जयराम
14. राकेश पुत्र स्व. जयरम
15. ममता
16. संगीता
17. मनिषा
18. मीना पुत्रीयान स्व. जयराम समस्त जाति जाट निवासीयान पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड। **तरतीबी अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट</u>

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार स्वामी के द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा के सम्पूर्ण हिस्से के प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

2. प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 2242/0.75 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान से लगती अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार आये दिन ताकत के बल पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि की डोल वगैरह तोड़ देते है, फसल नष्ट कर देते है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारु है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा समझाने पर नही मान रहे है, मरनें–मारनें पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

3. प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण नें पूर्व में अपनी उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 26.11.2021 को करवाया जा चुका है। प्रार्थी व तरतीबी अप्राथीगण ने अपनी उक्त आराजी भूमि की पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायलय में प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना –पत्र अन्दर मियाद निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है। आराजी विवादास्पद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना–पत्र सुनने व तैय करने का अधिकार है।

4. अतः प्रार्थना–पत्र गय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2242/0.75 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओ का निश्चयीकरण विधि की व्यवस्था में निर्धारित प्रकिया से कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि अपनी भूमि का सही रूप से उपयोग कर सकें।

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पैरोकार से जवाब लिया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। परौकार सरकार द्वारा पेश जवाब निम्नानुसार है कि जिम्मन नम्बर 01 एवं 02 राजस्व रिकार्ड के तथ्य है स्वीकार है, जिम्मन नंबर 03 प्रार्थी स्वयं साबित करे तथा शेष वर्णित जिम्मन कानूनी है। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आदेशिका पर लिखकर निवेदन किया कि तरतीबी अप्रार्थीगण से कोई रिलिफ नही चाहिए तथा प्रकरण को दि. 26.11.2021 के अनुसार हुए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी के आदेश पारित करने हेतू निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजीयात का दिनांक 26.11.2021 को सीमाज्ञान किया गया है तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी अपने सुखाधिकार एवं भूमि की रक्षा व सींव डोल की सुरक्षा हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 242/0.75 हैक्ट0 भूमि वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान का दिनांक 26.11.2021 को हुये सीमाज्ञान/ सीमांकन के मुताबिक यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार फीस जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करवावे। एवं पत्थरगढी के आदेश के माध्यम से किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नही की जावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को सरै इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)